69 th Bpsc Mains

+91-8877918018
Khan Global Studies

Economics

सामाजिक अर्थव्यवस्था

By: Dr. Bharat Sir

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6

KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

सामाजिक अर्थव्यवस्था

Dr. Bharat Sir

अध्याय दो

सामाजिक अर्थव्यवस्था

खाद्य सुरक्षा

- खाद्य सुरक्षाइसे यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच के साथ-साथ लोगों की आहार संबंधी मांगों और प्राथमिकताओं पर भी विचार करता है।

खाद्य सुरक्षा तीन स्तंभों पर बनी है:

a. निरंतर भोजन आपूर्ति,
b. संतुलित आहार तक पहुंच, और बुनियादी पोषण और देखभाल के लिए भोजन का उपयोग
c. सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच।

- जीने के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए हवा। लेकिन खाद्य सुरक्षा का मतलब दो वक्त की रोटी पाने से कहीं अधिक है। इसके निम्नलिखित आयाम हैं:
  - **a. उपलब्धता:** इसका मतलब है देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अन्न भंडार में संग्रहीत स्टॉक।
  - **b. अभिगम्यता:** इसका मतलब है कि भोजन बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की पहुंच में है।
  - **c. सामर्थ्य:** इसका तात्पर्य यह है कि किसी की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना।
- इस प्रकार, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जाती है जब सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो, यदि सभी के पास स्वीकार्य गुणवत्ता का भोजन खरीदने के साधन हों, और यदि पहुंच में कोई बाधा न हो।
- भारत116 देशों में से 101वें स्थान पर हैग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021. के अनुसारखाद्य एवं कृषि संगठन, दखाद्य मूल्य सूचकांकवर्ष 2021-22 में 30% की वृद्धि हुई है।

भारत और खाद्य सुरक्षा

1. **खाद्य सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान:** यद्यपि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार, जीवन के मौलिक अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैसंविधान का अनुच्छेद 21 इसकी व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार भी शामिल हो सकता है।
2. **बफर स्टॉक की उपलब्धता:** भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)पर खाद्यान्न की खरीद की प्रमुख जिम्मेदारी हैन्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)और विभिन्न स्थानों पर अपने गोदामों में संग्रहीत किया जाता है और वहां से राज्य सरकारों को आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाती है।
3. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** पिछले कुछ वर्षों में,सार्वजनिक वितरण प्रणालीदेश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पीडीएस प्रकृति में पूरक है और इसका उद्देश्य किसी भी वस्तु की संपूर्ण आवश्यकता को उपलब्ध कराना नहीं है।
   - पीडीएस के तहत, वर्तमान में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वितरण के लिए गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी वस्तुएं आवंटित की जा रही हैं।
   - कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेशपीडीएस दुकानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपभोग की अतिरिक्त वस्तुओं जैसे दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि भी वितरित करें।
4. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए):** यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
   - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमइसके अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल है:
   - अंत्योदय अन्न योजना:यह सबसे गरीब लोग हैं, जो प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
   - प्राथमिकता वाले घर (पीएचएच):पीएचएच श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
   - राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की 18 वर्ष या

उससे अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिया होना अनिवार्य है।

- इसके अलावा, अधिनियम 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान रखता है, जो उन्हें व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है।एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)केंद्र, जिन्हें आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में जाना जाता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन

- **खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ):** इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख से निपटने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी जीवित एजेंसी है।
- **विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी):** यह भूख को संबोधित करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है।
  - इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है।
- **कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी):** यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख को कम करने के लिए काम करती है।
  - इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।
- **विश्व बैंक:** इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह खाद्य संबंधी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से शामिल है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ/समस्याएँ/मुद्दे

- खाद्य उत्पादन और वितरण में देश की महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत में खाद्य सुरक्षा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

1. **जनसंख्या वृद्धि:** भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो खाद्य संसाधनों पर भारी दबाव डालती है। भोजन की बढ़ती मांग खाद्य उत्पादन में वृद्धि से अधिक है।
2. **गरीबी और आय असमानता:** गरीबी और आय असमानता के उच्च स्तर का मतलब है कि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्याप्त और पौष्टिक आहार नहीं खरीद सकता है। इससे कई लोगों के लिए खाद्य असुरक्षा पैदा हो जाती है।
3. **भोजन तक असमान पहुंच:** पूरे देश में भोजन तक पहुंच एक समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी असमानताएं, साथ ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच भोजन तक पहुंच में भिन्नता, खाद्य असुरक्षा में योगदान करती है।
4. **खाद्य वितरण एवं भंडारण:** भारत में भोजन के वितरण और भंडारण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भोजन अक्सर दूरदराज और कमजोर क्षेत्रों में समय पर नहीं पहुंचता है, जिससे बर्बादी और कमी होती है।
5. **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन चरम मौसम की घटनाओं, वर्षा पैटर्न में बदलाव और बढ़ते तापमान के माध्यम से भारत में कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। इससे फसल बर्बाद हो सकती है और पैदावार कम हो सकती है।
6. **पानी की कमी:** भारत में कृषि के लिए पानी की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। कई क्षेत्र काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर हैं और जल संसाधनों के असमान वितरण से देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा और जल संकट पैदा हो सकता है।
7. **भूमि अवक्रमण:** रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, अनुचित भूमि प्रबंधन और शहरीकरण जैसे कारकों के कारण मिट्टी का क्षरण और कृषि योग्य भूमि का नुकसान दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
8. **मानसून पर निर्भरता:** भारत अपनी कृषि के लिए बहुत हद तक मानसून के मौसम पर निर्भर करता है। अनियमित मानसून से फसल बर्बाद हो सकती है और कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है।
9. **कीमतो में अस्थिरता:** कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक मूल्य वृद्धि से कई लोगों के लिए भोजन की सामर्थ्य प्रभावित हो सकती है।
10. **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता:** भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चिंता का विषय है। दूषित या मिलावटी भोजन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है और खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।
11. **सरकारी नीतियां:** हालाँकि भारत ने विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए हैं, लेकिन इन नीतियों की प्रभावशीलता और दक्षता एक चुनौती हो सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लीकेज और सही लाभार्थियों को लक्षित करने जैसे मुद्दे इन कार्यक्रमों के प्रभाव में बाधा बन सकते हैं।
12. **कृषि उत्पादकता:** खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर बीजों और अधिक कुशल कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
13. **भोजन की बर्बादी और हानि:** उत्पादन से उपभोग तक, आपूर्ति श्रृंखला में भोजन की महत्वपूर्ण मात्रा खो जाती है या बर्बाद हो जाती है। भोजन की बर्बादी और हानि को कम करने से भोजन की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
14. **खरीद में खामियां:** न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण किसानों ने अपनी भूमि को मोटे अनाज के उत्पादन से हटाकर चावल और गेहूं के उत्पादन की ओर मोड़ दिया है।
15. **अस्थिर वैश्विक व्यवस्था के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** ऐसे समय में जबकोविड-19 महामारी2020 में पहले ही दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति पर असर पड़ा था, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप भोजन की कमी और खाद्य मुद्रास्फीति हुई है।

- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार और विभिन्न हितधारकों को नीतियों और रणनीतियों के संयोजन को लागू करने की आवश्यकता है जो टिकाऊ कृषि प्रथाओं को

बढ़ावा दें, खाद्य वितरण प्रणालियों में सुधार करें, सामाजिक सुरक्षा जाल को बढ़ाएं और आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों की पोषण संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दें।

भारत में खाद्य सुरक्षा का महत्व/महत्व

कई प्रमुख कारणों से भारत में खाद्य सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है:

1. **बड़ी और विविध जनसंख्या:** एक अरब से अधिक लोगों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह सुनिश्चित करना कि इस विशाल और विविध आबादी को पर्याप्त और पौष्टिक आहार मिले, एक मौलिक जिम्मेदारी है।
2. **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा कुपोषण, अवरुद्ध विकास और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर बच्चों और कमजोर समूहों में।
3. **आर्थिक विकास:** एक अच्छी तरह से पोषित और स्वस्थ आबादी अधिक उत्पादक होती है। जब लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, तो उनके कार्यबल में भाग लेने की अधिक संभावना होती है, जो आर्थिक वृद्धि और विकास को गति दे सकता है।
4. **सामाजिक स्थिरता:** खाद्य असुरक्षा से सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। यह सुनिश्चित करना कि लोगों को भोजन तक पहुंच मिले, सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।
5. **गरीबी कम करना:** खाद्य सुरक्षा गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाकर गरीबी उन्मूलन में योगदान कर सकती है। जब लोग भोजन का खर्च उठा सकते हैं, तो यह उनके भविष्य में अन्य आवश्यक जरूरतों और निवेशों के लिए आय को मुक्त कर देता है।
6. **कृषि क्षेत्र:** भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना लाखों किसानों और खेत मजदूरों की आजीविका का समर्थन करता है, कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देता है।
7. **व्यापार और कूटनीति:** खाद्य सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत, एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक के रूप में, वैश्विक खाद्य बाजारों में हिस्सेदारी रखता है और अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्सर व्यापार वार्ता में संलग्न रहता है।
8. **जलवायु परिवर्तन लचीलापन:** जलवायु परिवर्तन से भारत में खाद्य उत्पादन को खतरा है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में लचीली कृषि पद्धतियों को अपनाना और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना शामिल है।
9. **लैंगिक समानता:** खाद्य सुरक्षा का लैंगिक समानता से गहरा संबंध है। महिलाएं अक्सर खाद्य उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और भोजन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने से उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है और लैंगिक असमानताओं को कम किया जा सकता है।
10. **बाल विकास:** प्रारंभिक बचपन में पर्याप्त पोषण संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा बच्चों के स्वस्थ विकास और उनके भविष्य की संभावनाओं में योगदान देती है।
11. **सतत विकास:** खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थिरता पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाली टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
12. **पोषण और कल्याण:** कैलोरी पर्याप्तता से परे, खाद्य सुरक्षा में विविध और पौष्टिक आहार के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। पोषण पर ध्यान देने से आहार संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है और समग्र कल्याण सुनिश्चित होता है।

➢ इन कारकों की मान्यता में, भारत ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और नीतियां लागू की हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), और विभिन्न पोषण कार्यक्रम। इन पहलों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आबादी के एक बड़े हिस्से को किफायती और पौष्टिक भोजन मिले, खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों को।

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की पहल

➢ भारत सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल और कार्यक्रम लागू किए हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ प्रमुख सरकारी पहलों में शामिल हैं:

1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए):** 2013 में अधिनियमित, एनएफएसए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले परिवारों और पात्र लाभार्थियों सहित आबादी के एक बड़े हिस्से को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम ने किफायती कीमतों पर निर्दिष्ट मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराकर पोषण सुरक्षा की अवधारणा भी पेश की।
2. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस):** पीडीएस भारत में एक प्रमुख खाद्य वितरण कार्यक्रम है। इसका उपयोग उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर चावल, गेहूं और चीनी जैसे खाद्यान्न वितरित करने के लिए किया जाता है। पीडीएस यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आवश्यक खाद्य पदार्थ आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंच सकें।
3. **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस):** आईसीडीएस एक सरकारी कार्यक्रम है जो छोटे बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार पर केंद्रित है। यह छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है।
4. **मध्याह्न भोजन योजना:** यह कार्यक्रम छात्रों के बीच नामांकन, उपस्थिति और पोषण स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है। यह योजना बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें प्रतिदिन कम से कम एक पौष्टिक भोजन मिले।

5. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई):** सरकार के कोविड-19 राहत उपायों के हिस्से के रूप में पेश किया गया, पीएमजीकेवाई पीडीएस के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित करके महामारी के दौरान राहत प्रदान करना था।
6. **अन्नपूर्णा योजना:** अन्नपूर्णा योजना उन वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करती है जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।
7. **अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई):** एएवाई पीडीएस का एक हिस्सा है और सबसे गरीब लोगों को लक्षित करता है। यह भारत में सबसे कमजोर परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।
8. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई):** आरकेवीवाई एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों, बुनियादी ढांचे के विकास और बाजार संबंधों के लिए वित्त पोषण के माध्यम से कृषि क्षेत्र का समर्थन करना है। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है।
9. **सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए):** एनएमएसए टिकाऊ कृषि पद्धतियों, संसाधन संरक्षण और जलवायु-लचीली कृषि तकनीकों को बढ़ावा देता है। यह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करके दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
10. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** एनआरएलएम आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने पर केंद्रित है। आय-सृजन गतिविधियों तक पहुंच से ग्रामीण परिवारों को अपनी भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

- ये सरकारी पहल भारत में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए मिलकर काम करती हैं, जिसमें कमजोर आबादी को किफायती भोजन उपलब्ध कराने से लेकर कृषि उत्पादकता, पोषण और समग्र कल्याण में सुधार शामिल है।

सवाल : खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

- भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, कृषि और सामाजिक सुरक्षा जाल के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए कई कदम उठा सकती है। यहां प्रमुख कार्य हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए:

1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) को मजबूत करें:** सरकार को एनएफएसए का पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए, पोषण सुरक्षा पर भी जोर देते हुए प्राथमिकता वाले परिवारों और पात्र लाभार्थियों को किफायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार:** रिसाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे, प्रौद्योगिकी, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का लाभ उठाकर पीडीएस की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाएं।
3. **खाद्य उत्पादन में विविधता लाएं:** किसानों को फसलों में विविधता लाने और आहार विविधता और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए फलों और सब्जियों, दालों और बाजरा जैसी पौष्टिक और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करें।
4. **सतत कृषि को बढ़ावा देना:** कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों, कुशल जल उपयोग और फसल विविधीकरण को लागू करें।
5. **सिंचाई अवसंरचना में निवेश करें:** मानसूनी बारिश पर निर्भरता कम करने, फसल की पैदावार बढ़ाने और लगातार खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार और विस्तार करें।
6. **अनुसंधान और विकास:** उच्च उपज देने वाली और जलवायु-लचीली फसल किस्मों को विकसित करने और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार करने के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश करें।
7. **विस्तार सेवाएँ:** किसानों को फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और फसल कटाई के बाद की प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करें।
8. **ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास:** फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने के लिए सड़कों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश करें।
9. **महिला सशक्तिकरण:** कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों, ऋण और शिक्षा तक उनकी समान पहुंच हो, क्योंकि महिलाएं खाद्य उत्पादन और घरेलू पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
10. **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विनियम:** यह सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियमों को मजबूत करें कि खाद्य उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित हैं और उचित पोषण मानकों को पूरा करते हैं।
11. **जैविक खेती को बढ़ावा दें:** रासायनिक आदानों के उपयोग को कम करने और स्वस्थ, टिकाऊ खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रथाओं को प्रोत्साहित और समर्थन करें।
12. **पोषण कार्यक्रम:** कुपोषण को दूर करने और बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना जैसे पोषण कार्यक्रमों को जारी रखें और विस्तारित करें।
13. **नवीन कृषि तकनीकें:** खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सटीक कृषि, जलीय कृषि और ऊर्ध्वाधर खेती जैसी नवीन और कुशल

कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना।

14. **भंडारण और भण्डारण सुविधाएं बढ़ाएँ:** फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भंडारण और भंडारण के बुनियादी ढांचे में सुधार करें और यह सुनिश्चित करें कि अधिशेष उत्पादन का उपयोग कम मौसम के दौरान किया जा सके।
15. **बाजार पहुंच बढ़ाएँ:** किसान बाजारों की स्थापना करके, परिवहन में सुधार करके और उन्हें खघ्रीदारों से जोड़कर किसानों, विशेषकर छोटे किसानों के लिए बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाना।
16. **जलवायु-लचीला कृषि:** प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलित करने के लिए रणनीतियां विकसित और कार्यान्वित करें।
17. **सामाजिक सुरक्षा जाल:** सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करें या बढ़ाएं जो संकट के समय सबसे कमजोर आबादी को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे बेरोजगारी सहायता, खाद्य सहायता और स्वास्थ्य देखभाल।
18. **शिक्षा और जागरूकता:** समग्र भोजन विकल्पों और आहार प्रथाओं में सुधार के लिए पोषण, स्वस्थ भोजन की आदतों और खाद्य सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।
19. **जाचना और परखना:** खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए उनकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू करें।
20. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करें।
21. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** सरकार को कृषि उत्पादकता में सुधार और खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

- खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना एक बहुआयामी प्रयास है, और इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपयोग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को संबोधित करता है।

गरीबी

- गरीबी वह अवस्था या स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए संसाधनों का अभाव होता है।
- परंपरागत रूप से, गरीबी शब्द का तात्पर्य जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं - भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय और कपड़े - प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी से है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इस शब्द का विस्तार करते हुए इसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और यहां तक कि परिवहन तक पहुंच को भी शामिल करते हैं।
- गरीबीयह एक बहुआयामी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास बुनियादी जीवन स्तर के लिए वित्तीय साधनों और आवश्यकताओं का अभाव होता है। गरीबी में खराब स्वास्थ्य और शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, शारीरिक सुरक्षा की कमी, आवाज की कमी और किसी के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता और अवसर की कमी भी शामिल है।

गरीबी के प्रकार

1. **संपूर्ण गरीबी:** अत्यधिक गरीबी या घोर गरीबी के रूप में भी जाना जाता है, इसमें बुनियादी भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना की कमी शामिल है। जो लोग पूर्ण गरीबी से संबंध रखते हैं, उन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मलेरिया, हैजा और जल-प्रदूषण से संबंधित बीमारियों जैसी रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बच्चों की मृत्यु के बहुत मामले सामने आते हैं। विकसित देशों में पूर्ण गरीबी आमतौर पर असामान्य है।
   - इसे पहली बार 1990 में पेश किया गया था, डॉलर प्रतिदिन गरीबी रेखा दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों के आधार पर पूर्ण गरीबी को मापती थी। अक्टूबर 2015 में, विश्व बैंक ने इसे पुनः +1.90 प्रति दिन कर दिया,जिसे सितंबर 2022 में अद्यतन कर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2.15 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया. यह संख्या विवादास्पद है; इसलिए पूर्ण गरीबी रेखा के लिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सीमा होती है।
   - अपने वर्गीकरण को और अधिक सटीक बनाने के प्रयास में, संगठन ने हाल ही में मध्यम और उच्च आय वाले देशों में रहने वाले लोगों के लिए गरीबी के नए मानक जोड़े हैं। अब, मिस्र या भारत जैसे षनिम्न-मध्यम-आयष देशों में लोगों के लिए गरीबी रेखा +3.20 प्रति दिन और जमैका या दक्षिण अफ्रीका जैसे उच्च-मध्यम-आय देशों के लिए +5.50 प्रति दिन निर्धारित की गई है। विश्व बैंक ने अमेरिका जैसे उच्च आय वाले देशों के लिए 21.70 डॉलर प्रति दिन का तीसरा मानक भी जारी किया।
2. **तुलनात्मक गरीबी:** इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य से परिभाषित किया गया है जो परिवेश में रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है। इसलिए यह आय असमानता का एक माप है। उदाहरण के लिए, एक परिवार को गरीब माना जा सकता है यदि वह छुट्टियां वहन नहीं कर सकता, या क्रिसमस पर बच्चों के लिए उपहार नहीं खरीद सकता, या अपने बच्चों को विश्वविद्यालय नहीं भेज सकता। आमतौर पर, सापेक्ष गरीबी को औसत आय के कुछ निश्चित अनुपात से कम आय वाली जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।
   - यह अमीर विकसित देशों में गरीबी दर का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है।

भारत में गरीबी का आकलन

- भारत में, राष्ट्रीय स्तर पर पहली आधिकारिक ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाएं 1979 में वाईके अलघ समिति द्वारा पेश की गईं और पहली बार आधिकारिक गरीबी गणना शुरू हुई। बाद में, 1993 में, डीटी लकड़ावाला समिति ने इन गरीबी रेखाओं को राज्यों तक

बढ़ा दिया और समय के साथ राज्यों में आधिकारिक गरीबी गणना की अनुमति दी।

- 2005 में, यह मानते हुए कि ग्रामीण गरीबी रेखा बहुत कम थी, सरकार ने गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की। 2009 में रिपोर्ट करते हुए, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण गरीबी रेखा को ऊपर की ओर संशोधित किया। लगातार मीडिया आलोचनाओं के कारण सरकार को 2012 में रंगराजन समिति की नियुक्ति करनी पड़ी।
- जून 2014 में रिपोर्ट करते हुए, रंगराजन समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी रेखाओं को और बढ़ाने की सिफारिश की। रंगराजन समिति की सिफारिशों पर अभी फैसला होना बाकी है. इसलिए, तेंदुलकर गरीबी रेखा आधिकारिक गरीबी रेखा बनी हुई है और 1993-94, 2004-05 और 2011-12 में वर्तमान आधिकारिक गरीबी अनुमान का आधार है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023

- नीति आयोग ने श्राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एनएमपीआई) क्या है?

- नीति आयोग एमपीआई के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।
- यह ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) जैसी प्रकाशन एजेंसियों के साथ जुड़ा हुआ है।
- एमपीआई की बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 पर आधारित है।

संकेतकों का प्रयोग किया गया

- एमपीआई तीन आयामों पर विचार करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।
- इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, बैंक खाते और संपत्ति जैसे संकेतक शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **गरीबी में गिरावट:** भारत में बहुआयामी गरीबी में भारी गिरावट देखी गई है, 2015-16 में 24.85% से 9.89 प्रतिशत अंक की कमी के साथ 2019-21 में 14.96% हो गई है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति:** ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे तेज गिरावट देखी गई, 32.59% से 19.28%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 8.65% से 5. 27% की कमी देखी गई।
- **क्षेत्रीय प्रगति:** यूपी में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी से कमी देखी गई।
- **एसडीजी लक्ष्यों की ओर पथ:** रिपोर्ट बताती है कि भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 हासिल करने की राह पर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करना है।

भारत में गरीबी के कारण

- भारत में गरीबी एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसके कई परस्पर जुड़े कारण हैं। भारत में गरीबी में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारकों में शामिल हैं:

1. **जनसंख्या वृद्धि:** भारत में बड़ी और तेजी से बढ़ती आबादी है, जो संसाधनों, रोजगार के अवसरों और सामाजिक सेवाओं पर दबाव डालती है। देश में लोगों की विशाल संख्या बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर दबाव डाल सकती है।
2. **धन का असमान वितरण:** भारत में आय और धन वितरण में काफी असमानता है। आबादी के एक छोटे से प्रतिशत के पास देश की संपत्ति का अनुपातहीन रूप से बड़ा हिस्सा है, जबकि अधिकांश आबादी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है।
3. **शिक्षा तक पहुंच का अभाव:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच गरीबी को कायम रख सकती है क्योंकि यह व्यक्तियों की बेहतर नौकरी के अवसरों और आय सृजन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में बाधा डालती है।
4. **बेरोजगारी और अल्परोजगार:** भारतीय कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा या तो बेरोजगार है या अल्प-रोजगार है, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, जहाँ नौकरियों के लिए कम भुगतान किया जा सकता है और नौकरी की सुरक्षा का अभाव है।
5. **कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ:** भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हालाँकि, कृषि क्षेत्र को छोटी जोत, पुरानी कृषि तकनीक और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादकता और आय कम हो सकती है।
6. **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अभाव:** स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, खराब स्वास्थ्य और उच्च चिकित्सा खर्चों का कारण बन सकती है, जिससे लोग गरीबी की ओर बढ़ सकते हैं।
7. **जाति और सामाजिक भेदभाव:** लैंगिक असमानताओं के साथ-साथ सामाजिक पदानुक्रम और जाति पर आधारित भेदभाव, कुछ समूहों के लिए अवसरों को सीमित कर सकते हैं और उन्हें गरीबी में धकेल सकते हैं।
8. **बुनियादी ढाँचा और बुनियादी सेवाएँ:** सड़क, बिजली और स्वच्छता सुविधाओं सहित अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में बाधा बन सकता है।
9. **शहरीकरण और प्रवासन:** बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण शहरों में अपर्याप्त आवास, स्वच्छता और सामाजिक सेवाओं की कमी हो सकती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में गरीबी बढ़ सकती है।

10. **प्राकृतिक आपदाएँ और जलवायु परिवर्तन:** भारत बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जिससे आजीविका और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। जलवायु परिवर्तन इन चुनौतियों को बढ़ा सकता है।
11. **भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे:** सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार और अकुशल शासन संसाधनों को गरीबी उन्मूलन प्रयासों से दूर कर सकता है और सामाजिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है।
12. **वित्तीय समावेशन का अभाव:** भारत में बहुत से लोगों के पास औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जिससे उनके लिए बचत करना, निवेश करना या ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
13. **राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष:** भारत के कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का अनुभव होता है, जो आर्थिक गतिविधियों को बाधित करता है और गरीबी को बढ़ाता है।

➢ भारत में गरीबी को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें आर्थिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश, भूमि सुधार, बेहतर बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा जाल और असमानता और भेदभाव को कम करने के प्रयास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय चुनौतियों से ग्रस्त देश में जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियाँ और आपदा तैयारी आवश्यक हैं।

प्रश्न: गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

➢ भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश में गरीबी कम करने के लिए विभिन्न उपाय और कार्यक्रम लागू किए हैं। कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को मुख्य रूप से अकुशल शारीरिक कार्य में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना और स्थायी आजीविका उत्पन्न करना है।
2. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस):** पीडीएस एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जो उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है।
3. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** एनआरएलएम, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है, एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है।
4. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई):** PMAY एक आवास योजना है जो पात्र लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
5. **जन धन योजना:** प्रधान मंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बचत और ऋण तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी परिवारों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।
6. **मध्याह्न भोजन योजना:** यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों को उनके पोषण में सुधार करने और स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त भोजन प्रदान करता है।
7. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई):** आरएसबीवाई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए कवरेज प्रदान करती है।
8. **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई):** डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने, उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने और वेतन रोजगार के लिए प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
9. **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए):** एसएसए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, स्कूलों तक पहुंच बढ़ाना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है।
10. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए):** एनएफएसए एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार देकर आबादी के एक बड़े हिस्से को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
11. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** सरकार लाभ और सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने, रिसाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है कि इच्छित प्राप्तकर्ताओं को लाभ मिले।
12. **आधार:** विशिष्ट पहचान (आधार) कार्यक्रम का उपयोग एक विशिष्ट पहचान प्रणाली स्थापित करने के लिए किया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी और लाभ के कुशल लक्ष्यीकरण की सुविधा मिल सके।
13. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और आयुष्मान भारत:** ये पहल स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से कमजोर आबादी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
14. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी):** एनएसएपी में बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जो आबादी के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

➢ ये उपाय और कार्यक्रम भारत में गरीबी को कम करने और गरीबों की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए डिजाइन किए गए सामाजिक सुरक्षा जाल, रोजगार सृजन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन प्रयासों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, इन पहलों की प्रभावशीलता अलग-अलग हो सकती है, और कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, भ्रष्टाचार और सबसे हाशिए पर

मौजूद आबादी तक पहुंच चिंता का विषय बनी हुई है।

प्रश्नः हमारे देश में गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

- भारत में गरीबी उन्मूलन एक जटिल और दीर्घकालिक चुनौती है जिसके लिए व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत सरकार को गरीबी को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए निम्नलिखित कदमों और रणनीतियों को लागू करने पर विचार करना चाहिए:

1. **लक्षित समाज कल्याण कार्यक्रमः** मनरेगा, पीडीएस और पीएमएवाई जैसे मौजूदा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखें और सुधारें, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचें और रिसाव और भ्रष्टाचार से मुक्त हों।
2. **शिक्षा एवं कौशल विकासः** व्यक्तियों को बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश करें। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना महत्वपूर्ण है।
3. **स्वास्थ्य देखभाल पहुंचः** स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि। कमजोर लोगों को उच्च चिकित्सा खर्चों से बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लागू करें और बढ़ावा दें।
4. **कृषि सुधारः** भूमिहीनता को दूर करने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार लागू करें। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए टिकाऊ और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करें।
5. **रोजगार सृजनः** विनिर्माण, सेवा और अनौपचारिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान दें। अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करें और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को बढ़ावा दें।
6. **वित्तीय समावेशनः** वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और लोगों को बचत करने, निवेश करने और ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना। यह आर्थिक स्थिरता और आय सृजन के अवसर प्रदान कर सकता है।
7. **लैंगिक समानताः** शिक्षा, रोजगार और संपत्ति अधिकारों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाएं। गरीबी कम करने में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।
8. **बुनियादी ढांचे का विकासः** आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे में निवेश करें।
9. **भूमि एवं वन अधिकारः** स्वदेशी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए भूमि और वन अधिकारों को पहचानें और सुरक्षित करें, क्योंकि इन समुदायों को अक्सर विस्थापन और आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ता है।
10. **व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षणः** व्यक्तियों को बाजार-प्रासंगिक कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करें जिससे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
11. **उद्यमिता को बढ़ावा देंः** पूंजी, प्रशिक्षण और परामर्श तक पहुंच प्रदान करके, विशेष रूप से वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को समर्थन और प्रोत्साहन देना।
12. **पर्यावरणीय स्थिरताः** सभी के लिए दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने वाली नीतियों और प्रथाओं को लागू करें।
13. **भ्रष्टाचार कम करनाः** भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों को मजबूत करें और गरीबी उन्मूलन प्रयासों से संसाधनों को दूर ले जाने से रोकने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा दें।
14. **आपदा तैयारी और जलवायु लचीलापनः** लचीलापन बनाने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करें।
15. **सामाजिक समावेशः** समावेशी नीतियों को बढ़ावा दें जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को संबोधित करें। सामाजिक एकता और सभी के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करें।
16. अनुसंधान और डेटा संग्रहः गरीबी की प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से समझने, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की जानकारी देने के लिए अनुसंधान और डेटा संग्रह में निवेश करें।

- ये कदम गरीबी को कम करने और जनसंख्या के समग्र कल्याण में सुधार के लिए दीर्घकालिक, समन्वित प्रयास का हिस्सा होने चाहिए। गरीबी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नागरिक समाज संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और हितधारकों के साथ सहयोग भी आवश्यक है।

बेरोजगारी

- बेरोजगारी तब होती है जब सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सक्रिय रूप से काम की तलाश नहीं करने वालों को बेरोजगार नहीं माना जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, बेरोजगारी में बेरोजगार होना, काम के लिए उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करना शामिल है।
- एनएसओकिसी व्यक्ति की निम्नलिखित गतिविधि स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है:
  - कामकाजी (किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न) यानी, रोजगार ।
  - काम की तलाश या उपलब्धता अर्थात श्बेरोजगारश।

- ❍ न तो काम की तलाश है और न ही काम उपलब्ध है।
- ➢ श्रम बल - किसी देश की श्रम शक्ति में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं।
- ➢ कार्यबल - दूसरी ओर कार्यबल में वे लोग शामिल होते हैं जो वास्तव में किसी प्रकार के कार्य में लगे होते हैं
- ➢ बेरोजगारी दर = (बेरोजगार श्रमिक/कुल श्रम बल) × 100A
- ➢ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):एलएफपीआर को जनसंख्या में श्रम बल (यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या उपलब्ध होने वाले) व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ➢ श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)% WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में बेरोजगारी कैसे मापी जाती है?

एनएसएसओ वर्गीकरण विधियाँ:

- ➢ सामान्य मूलधन और सहायक स्थिति (यूपीएसएस):प्रिंसिपल का दर्जा उस गतिविधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिस पर पिछले वर्ष में सबसे अधिक समय बिताया गया था।
- ➢ कम से कम 30 दिनों तक चलने वाली सहायक भूमिकाओं को भी रोजगार माना जाता है। यह विधि बेरोजगारी दर को कम करती है।

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस):

- ➢ एक सप्ताह की छोटी संदर्भ अवधि अपनाई गई है। व्यक्तियों को नियोजित माना जाता है यदि उन्होंने पिछले सात दिनों में कम से कम एक दिन कम से कम एक घंटा काम किया हो।
- ➢ छोटी संदर्भ अवधि के कारण सीडब्ल्यूएस के परिणामस्वरूप अक्सर यूपीएसएस की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक होती है।

भारत में बेरोजगारी दर का वर्तमान परिदृश्य

1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट

The unemployment rates as per the Periodic Labour Force Survey

	UPSS			CWS		
	Rural	Urban	Aggregate	Rural	Urban	Aggregate
2017-18	5.3%	7.8%	6.1%	8.5%	9.6%	8.9%
2018-19	5%	7.7%	5.8%	8.4%	9.5%	8.8%
2019-20	4%	7%	4.8%	7.9%	11%	8.8%
2020-21	3.3%	6.7%	4.2%	6.5%	10%	7.5%
2021-22	3.3%	6.3%	4.1%	6%	8.3%	6.6%

1. शहरी श्रम बल भागीदारी में सुधार

- ➢ एलएफपीआर अपटिक:शहरी क्षेत्रों में एलएफपीआर ने वृद्धि प्रदर्शित की, जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अप्रैल-जून 2022 में 47.5% से बढ़कर 2023 के इसी महीनों में 48.8% हो गई।
- ➢ लैंगिक असमानताएँ:जबकि इस अवधि के दौरान पुरुषों के लिए एलएफपीआर लगभग 73.5% पर स्थिर रहा, महिलाओं के लिए यह उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, 20.9% से बढ़कर 23.2% हो गया।

2. उन्नत श्रमिक-जनसंख्या अनुपात

- ➢ WPR लाभ:शहरी क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ॅच्च अप्रैल-जून 2022 में 43.9% से बढ़कर 2023 में इसी अवधि के दौरान 45.5% हो गया।
- ➢ लिंग-विशिष्ट सुधार:पुरुषों के लिए, ॅच्च इस समय सीमा में 68. 3% से बढ़कर 69.2% हो गया, और महिलाओं के लिए, यह 18. 9% से बढ़कर 21.1% हो गया।

3. बेरोजगारी दर में कमी

- ➢ घटती बेरोजगारी:पीएलएफएस ने शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) में कमी की प्रवृत्ति की सूचना दी।
- ➢ शहरी क्षेत्रों में यूआर:यह अप्रैल-जून 2022 में 7.6% से घटकर अप्रैल-जून 2023 में 6.6% हो गई।
- ➢ लिंग आधारित यूआर:इस अवधि के दौरान पुरुषों के लिए यूआर 7.1% से घटकर 5.9% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए यह 9.5% से घटकर 9.1% हो गया।

बेरोजगारी के प्रकार

मौसमी बेरोजगारी:

- ➢ यह एक बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है।
- ➢ भारत में खेतिहर मजदूरों के पास साल भर शायद ही कभी काम होता है।

संरचनात्मक बेरोजगारी:

- ➢ यह बेरोजगारी की एक श्रेणी है जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है।
- ➢ भारत में कई लोगों को अपेक्षित कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती है और शिक्षा का स्तर खराब होने के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।

चक्रीय बेरोजगारी:

- ➢ यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ गिरावट आती है।
- ➢ भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।

तकनीकी बेरोजगारी:

- ➢ यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
- ➢ 2016 में,विश्व बैंकडेटा ने भविष्यवाणी की है कि भारत में स्वचालन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल-दर-साल 69% है।

प्रतिरोधात्मक रोजगार:

- ➢ घर्षणात्मक बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, यह नौकरियों के बीच के समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है।

प्रच्छन्न बेरोजगारी:

- यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।
- यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है।

असुरक्षित रोजगार:

- इसका मतलब है, लोग बिना किसी उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल रही है।
- इन व्यक्तियों को श्बेरोजगारश माना जाता है क्योंकि उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता है।
- यह भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।

प्रश्न: भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं?

- भारत में बेरोजगारी विभिन्न परस्पर जुड़े कारणों के साथ एक जटिल मुद्दा है। देश में बेरोजगारी में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारकों में शामिल हैं:

1. **जनसंख्या वृद्धि:** भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे श्रम शक्ति में वृद्धि हुई है। नौकरी बाजार अक्सर इस वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी होती है।
2. **सीमित रोजगार सृजन:** अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में, नौकरी चाहने वालों की बढ़ती संख्या को समाहित करने के लिए पर्याप्त नई नौकरियाँ पैदा नहीं कर सकती है।
3. **आर्थिक मंदी:** आर्थिक मंदी या मंदी की अवधि के कारण नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं क्योंकि व्यवसाय लागत और नियुक्तियों में कटौती करते हैं।
4. **कुशल श्रम बेमेल:** कार्यबल के पास मौजूद कौशल और नौकरी बाजार द्वारा मांग की जाने वाली कौशल के बीच एक अंतर हो सकता है, जिससे अल्परोजगार और बेरोजगारी हो सकती है।
5. **शैक्षिक असमानताएँ:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी के परिणामस्वरूप आबादी के एक बड़े हिस्से में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल की कमी हो सकती है।
6. **कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ:** बहुत से लोग कृषि में लगे हुए हैं, जो अक्सर मौसमी रोजगार और कम उत्पादकता की विशेषता है। कृषि संकट प्रच्छन्न और खुली बेरोजगारी को जन्म दे सकता है।
7. **श्रम बाजार की कठोरता:** श्रम कानून और विनियम कभी-कभी नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों को काम पर रखना और निकालना मुश्किल बना सकते हैं, जो विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को हतोत्साहित कर सकता है।
8. **धीमा औद्योगिक विकास:** विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में धीमी वृद्धि रोजगार सृजन के अवसरों को सीमित कर सकती है, खासकर कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए।
9. **शहरीकरण और प्रवासन:** बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण से शहरी प्रवास के परिणामस्वरूप शहरी बेरोजगारी हो सकती है, क्योंकि शहरों में नौकरी चाहने वालों की आमद को अवशोषित करने की क्षमता नहीं हो सकती है।
10. **बुनियादी ढांचे की कमी:** अपर्याप्त परिवहन और बिजली आपूर्ति जैसे खराब बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में बाधा डाल सकते हैं।
11. **सामाजिक और लैंगिक असमानताएँ:** भेदभाव, विशेष रूप से जाति और लिंग के आधार पर, कुछ समूहों के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सीमित कर सकता है।
12. **अनौपचारिक क्षेत्र:** कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, जहाँ नौकरियाँ अक्सर कम वेतन वाली, अनियमित होती हैं और नौकरी की सुरक्षा का अभाव होता है।
13. **प्रौद्योगिकी प्रगति:** स्वचालन और प्रौद्योगिकी कुछ उद्योगों में मानव श्रम की जगह ले सकते हैं, जिससे संभावित रूप से नौकरी में विस्थापन हो सकता है।
14. **वैश्विक आर्थिक कारक:** वैश्विक आर्थिक रुझान, जैसे नौकरियों की आउटसोर्सिंग या अंतरराष्ट्रीय मांग में बदलाव, भारत में रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं।
15. **उद्यमशीलता चुनौतियाँ:** नौकरशाही लालफीताशाही के कारण व्यवसाय शुरू करने और चलाने में कठिनाई, ऋण तक पहुंच की कमी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों द्वारा रोजगार सृजन में बाधा बन सकती हैं।

- भारत में बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए आर्थिक सुधार, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम, श्रम बाजार सुधार, उद्यमिता प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे में निवेश सहित रणनीतियों के संयोजन की आवश्यकता है। सरकार और अन्य हितधारकों को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है जो रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करे और कार्यबल के कौशल को नौकरी बाजार की मांगों के साथ मेल खाए।

प्रश्न: भारत में शुरू की गई विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएँ क्या हैं?

- भारत ने देश में बेरोजगारी और अल्परोजगार को संबोधित करने के लिए कई रोजगार सृजन योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ प्रमुख रोजगार सृजन योजनाएं और पहल शामिल हैं:

1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** यह भारत के प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रमों में से एक है। यह ग्रामीण परिवारों को मुख्य रूप से अकुशल शारीरिक कार्य में प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा जाल प्रदान करना और स्थायी आजीविका उत्पन्न करना है।
2. **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पीएमईजीपी एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जो विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।
3. **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई):** डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और विभिन्न उद्योगों में वेतन रोजगार के लिए प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
4. **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM): DAY-**

NULM का उद्देश्य शहरी गरीबों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके बीच गरीबी और भेद्यता को कम करना है।

5. **स्टार्ट-अप इंडिया:** इस पहल का उद्देश्य वित्तीय सहायता, कर लाभ और स्टार्टअप के लिए सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया सहित विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
6. **स्टैंड-अप इंडिया:** यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
7. **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम):** एनएसडीएम विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्हें नौकरी के लिए तैयार करना और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहता है।
8. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** पीएमकेवीवाई एक कौशल विकास पहल है जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।
9. **अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम):** एआईएम युवा नवप्रवर्तकों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनक्यूबेशन सेंटर सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।
10. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** एनआरएलएम, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका वृद्धि कार्यक्रमों के समर्थन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
11. **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):** आरएसईटीआई ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है।
12. **एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस):** आईएसडीएस का लक्ष्य पूंजीगत सामान क्षेत्र में कौशल विकास करना है, जिसका लक्ष्य विनिर्माण और पूंजीगत सामान उद्योग में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना है।
13. **राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस):** एनसीएस एक ऑनलाइन मंच है जो नौकरी चाहने वालों को नौकरी प्रदाताओं से जोड़ता है और रोजगार के अवसरों, परामर्श और कौशल विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
14. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)**
    1. इसे 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ-साथ नए रोजगार सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
15. **आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)**
    1. इसे जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व बैंक द्वारा निवेश सहायता के माध्यम से आंशिक रूप से सहायता प्राप्त, मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना है, जिससे उन्हें वृद्धि करने में सक्षम बनाया जा सके। स्थायी आजीविका संवर्द्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय।
16. **पीएम-स्वनिधि योजना**
    1. शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीएएन आईडीएचआई) योजना, जो कि सीओवीआईडी -19 प्रेरित लॉक-डाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। .
17. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)**
    1. यह गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई एक योजना है। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।
18. **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना**
    1. हाल ही में, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय विनिर्माण चौंपियन बनाने और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की है।

- ये रोजगार सृजन योजनाएं और कार्यक्रम भारत में बेरोजगारी और अल्परोजगार को कम करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं। वे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों और जनसांख्यिकी को पूरा करते हैं, नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों को समान रूप से सहायता प्रदान करते हैं।

बेरोजगार विकास

- बेरोजगार विकास वाली अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद बेरोजगारी अत्यधिक बनी रहती है।
- ऐसा तब होता है जब अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, और आगामी पुनर्प्राप्ति बेरोजगारों, अल्प-रोजगार और कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वालों को शामिल करने के लिए अपर्याप्त है।
- भारत की जीडीपी में मुख्य योगदानकर्ता सेवा क्षेत्र है जो श्रम गहन नहीं है और इस प्रकार रोजगारहीन विकास को बढ़ाता है।
- इसके अलावा भारत की लगभग 50% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है जो अल्परोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी के लिए कुख्यात है।

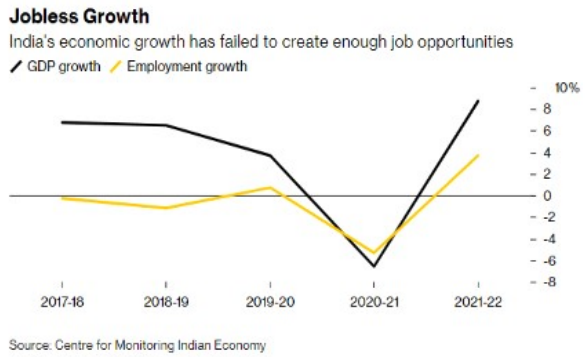

Source: Centre for Monitoring Indian Economy

भारत में बेरोजगार विकास में योगदान देने वाले कारक

- बेरोजगार विकास से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें रोजगार के अवसरों में आनुपातिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास होता है। भारत ने तीव्र आर्थिक विकास के दौर का अनुभव किया है, लेकिन रोजगार सृजन हमेशा इस विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। भारत में बेरोजगारी वृद्धि के बने रहने में कई कारक योगदान करते हैं:

1. **स्वचालन और तकनीकी प्रगति:** स्वचालन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से कुछ क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन उन्होंने पारंपरिक उद्योगों में श्रम की मांग भी कम कर दी है। इससे नौकरी विस्थापन को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
2. **अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार:** भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ नौकरियाँ कम वेतन वाली, अनियमित और नौकरी सुरक्षा की कमी वाली हो सकती हैं। ये नौकरियाँ अक्सर सामाजिक सुरक्षा लाभ या औपचारिक रोजगार आँकड़ों में योगदान नहीं करती हैं।
3. **कौशल बेमेल:** कार्यबल के पास मौजूद कौशल और नौकरी बाजार द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच अक्सर अंतर होता है। कई नौकरी चाहने वालों के पास उपलब्ध पदों के लिए आवश्यक योग्यता या प्रशिक्षण नहीं है।
4. **आर्थिक मंदी:** आर्थिक मंदी की अवधि, जैसे कि ब्व्टप्व–19 महामारी, के परिणामस्वरूप नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं क्योंकि व्यवसायों ने लागत और नियुक्तियों में कटौती की है। महामारी का भारत में रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ा।
5. **श्रम बाजार की कठोरता:** श्रम कानून और विनियम कभी-कभी नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों को काम पर रखना और निकालना मुश्किल बना सकते हैं, जो विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को हतोत्साहित कर सकता है।
6. **कृषि संकट:** कृषि क्षेत्र, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, को छोटी भूमि जोत और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे अल्परोजगार और खुली बेरोजगारी होती है।
7. **शैक्षिक असमानताएँ:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अपर्याप्त पहुंच के परिणामस्वरूप जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल की कमी हो सकती है।

- जैसा कि पिछली प्रतिक्रिया में बताया गया है, बेरोजगार विकास के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, भारत सरकार ने कई रोजगार सृजन कार्यक्रम और पहल शुरू की हैं। कौशल, उद्यमिता प्रोत्साहन और वित्तीय समावेशन पर सरकार का ध्यान बेरोजगारी को कम करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर है।

समांवेशी विकास

- समावेशी विकास का तात्पर्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को शामिल करना और इसके लाभ को साझा करना है. इसलिए, आईजी न केवल एक परिणाम या अंत है बल्कि अपने आप में एक प्रक्रिया या एक साधन है।
- समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है।बढ़ती आर्थिक असमानता और मानव कल्याण और समृद्धि पर इसके प्रभावों के कारण समावेशी विकास की अवधारणा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।
- ओईसीडी समावेशी विकास को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करता है जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है।
- समावेशी विकास का तात्पर्य विकास की गति और पैटर्न दोनों से है, जो आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें एक साथ संबोधित किया जाना चाहिए।– विश्व बैंक
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार, समावेशी विकास ष्वह प्रक्रिया और परिणाम है जहां लोगों के सभी समूहों ने विकास के संगठन में भाग लिया है और इससे समान रूप से लाभान्वित हुए हैंष। इसका तात्पर्य यह है कि समावेशी विकास में सभी वर्गों को लाभार्थियों के साथ-साथ विकास में भागीदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और बहिष्कृत लोगों को भी विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

समावेशी विकास के घटक/तत्व

- समावेशी विकास एक आर्थिक अवधारणा है जो न केवल आर्थिक विकास पर बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच उस विकास के लाभों के समान वितरण पर भी जोर देती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास के लाभ व्यापक लोगों द्वारा साझा किए जाएं और कमजोर या हाशिए पर रहने वाली आबादी पीछे न रह जाए। समावेशी विकास के घटकों में शामिल हैं:

1. **आर्थिक विकास:** आर्थिक विकास समावेशी विकास का एक मूलभूत घटक है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार शामिल है, जिससे उत्पादन, आय और समग्र समृद्धि में वृद्धि होती है। हालाँकि, समावेशी विकास केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक लाभ अधिक समान रूप से वितरित किए जाएं।
2. **रोजगार और नौकरी सृजन:** समावेशी विकास का उद्देश्य जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना, बेरोजगारी और अल्परोजगार को कम करना है। यह न केवल

नौकरियों की मात्रा बल्कि नौकरियों की गुणवत्ता, उचित वेतन और सभ्य कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

3. **आय वितरण:** समावेशी विकास यह सुनिश्चित करके आय असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है कि धन और आय विभिन्न आय समूहों में अधिक समान रूप से वितरित हो। इसका उद्देश्य गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों की आर्थिक संभावनाओं में सुधार करके उनका उत्थान करना है।
4. **सामाजिक सुरक्षा जाल:** बेरोजगारी लाभ, वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने से कमजोर आबादी को आर्थिक झटके से बचाया जा सकता है और उनकी भलाई में सुधार हो सकता है।
5. **शिक्षा एवं कौशल विकास:** समावेशी विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच महत्वपूर्ण है। यह लोगों को बेहतर नौकरी के अवसरों और आय सृजन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
6. **स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच:** यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी सदस्यों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों, समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो सकता है और व्यक्तियों और परिवारों को चिकित्सा खर्चों के वित्तीय बोझ से बचाया जा सकता है।
7. **वित्तीय समावेशन:** बैंकिंग, क्रेडिट और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार, व्यक्तियों को बचत करने, निवेश करने और क्रेडिट तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे वित्तीय स्थिरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
8. **लैंगिक समानता:** लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर और संपत्ति के अधिकारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
9. **ग्रामीण और शहरी विकास:** समावेशी विकास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास के लाभ पूरे देश में फैले। इसमें बुनियादी ढांचे, कृषि और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) में निवेश शामिल है।
10. **पर्यावरणीय स्थिरता:** सतत विकास प्रथाओं का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग, प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना शामिल है।
11. **सामाजिक समावेश:** सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में जाति, धर्म, जातीयता और भेदभाव के अन्य रूपों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल है जो कुछ समूहों के लिए अवसरों को सीमित कर सकते हैं।
12. **उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास:** विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद आबादी के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें पूंजी, प्रशिक्षण और व्यावसायिक सहायता तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।
13. **सुशासन:** समावेशी विकास के लिए प्रभावी और पारदर्शी शासन आवश्यक है। इसमें भ्रष्टाचार को कम करना, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नीतियों और संसाधनों का उचित आवंटन किया जाए।

- समावेशी विकास एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करके एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ समाज बनाना है। यह समाज के सभी सदस्यों, विशेषकर उन लोगों की समग्र भलाई में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो सबसे कमजोर या वंचित हैं।

भारत में समावेशी विकास की चुनौतियाँ

- भारत में समावेशी विकास हासिल करना एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है। हालाँकि ऐसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, लेकिन कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जो समावेशी विकास की दिशा में प्रगति में बाधा डालती हैं:

1. **आय असमानता:** भारत में अमीरों और गरीबों के बीच पर्याप्त अंतर के साथ, महत्वपूर्ण आय असमानता का अनुभव जारी है। यह असमानता विभिन्न कारकों से प्रेरित है, जिसमें शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक सेवाओं तक असमान पहुंच शामिल है।
2. **लैंगिक असमानताएँ:** लैंगिक असमानता एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। भारत में महिलाओं की अक्सर शिक्षा, रोजगार के अवसर और संपत्ति के अधिकारों तक सीमित पहुंच होती है। समावेशी विकास हासिल करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
3. **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएँ बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि उत्पादकता, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना महत्वपूर्ण है।
4. **कुशल कार्यबल:** भारत के कार्यबल में अक्सर उच्च-भुगतान वाली नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल का अभाव होता है, जो आय वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कौशल अंतर को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।
5. **अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार:** भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, जहाँ नौकरियाँ अक्सर कम वेतन वाली होती हैं और नौकरी की सुरक्षा का अभाव होता है। ये नौकरियाँ सामाजिक सुरक्षा लाभ या औपचारिक रोजगार आँकड़ों में योगदान नहीं देती हैं।
6. **शिक्षा अंतराल:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच सामाजिक गतिशीलता की क्षमता में बाधा डालती है। भारत में कई बच्चों को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलती है, जिससे गरीबी का चक्र शुरू हो सकता है।
7. **स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच:** हालाँकि भारत ने स्वास्थ्य सेवा के

क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अपनी जेब से अधिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च लोगों को गरीबी में धकेल सकता है।

8. **भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे:**सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार और अकुशल शासन संसाधनों को समावेशी विकास प्रयासों से दूर कर सकता है और सामाजिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है।
9. **पर्यावरणीय स्थिरता:** पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। आर्थिक विकास अक्सर पर्यावरणीय गिरावट की कीमत पर होता है, जो कमजोर आबादी की भलाई को प्रभावित कर सकता है।
10. **सामाजिक भेदभाव:** जाति, धर्म और जातीयता पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव कुछ समूहों के लिए अवसरों को सीमित कर सकते हैं और उन्हें गरीबी में धकेल सकते हैं। समावेशी विकास के लिए सामाजिक भेदभाव को दूर करना महत्वपूर्ण है।
11. **बुनियादी ढांचे की कमी:** सड़क, बिजली और स्वच्छता सुविधाओं सहित अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में बाधा बन सकता है।
12. **बेरोजगारी और अल्परोजगार:** भारतीय नौकरी बाजार अक्सर बढ़ती कार्यबल के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और अल्प-रोजगार के उच्च स्तर, विशेष रूप से युवाओं में, पैदा होते हैं।
13. **वित्तीय समावेशन का अभाव:** भारत में बहुत से लोगों के पास औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जिससे उनके लिए बचत करना, निवेश करना या ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, जो आय असमानता में योगदान कर सकता है।
14. **आर्थिक झटके:** आर्थिक झटके, जैसे कि वैश्विक आर्थिक संकट या सीओवीआईडी -19 महामारी का प्रभाव, नौकरियों की हानि और गरीबी में वृद्धि के कारण समावेशी विकास की दिशा में प्रगति को बाधित कर सकता है।
15. **शहरीकरण और प्रवासन:** ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण शहरों में अपर्याप्त आवास, स्वच्छता और सामाजिक सेवाओं की कमी हो सकती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में गरीबी बढ़ सकती है।

➢ इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा समन्वित और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। इसमें ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है जो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को लक्षित करते हैं और आबादी के सभी वर्गों के लिए अवसरों और सेवाओं तक समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और कमजोर आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत में समावेशी विकास हासिल करने के लिए केंद्रीय है।

समावेशी विकास के लिए पहल

➢ भारत सरकार ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल और कार्यक्रम लागू किए हैं कि विकास के लाभ आबादी के बीच अधिक समान रूप से साझा किए जाएं। भारत में समावेशी विकास हासिल करने के उद्देश्य से यहां कुछ प्रमुख पहल और योजनाएं दी गई हैं:

1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** मनरेगा ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, मुख्य रूप से अकुशल मैनुअल काम में, सुरक्षा जाल प्रदान करता है और स्थायी आजीविका पैदा करता है।
2. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस):** पीडीएस एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जो उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है।
3. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई):** पीएमएवाई एक आवास योजना है जो पात्र लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास प्रदान करने पर केंद्रित है।
4. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** एनआरएलएम, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है, एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
5. **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई):** डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और वेतन रोजगार के लिए प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
6. **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):** DAY-NULM का उद्देश्य शहरी गरीबों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके बीच गरीबी और भेद्यता को कम करना है।
7. **स्टैंड-अप इंडिया:** स्टैंड-अप इंडिया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
8. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** पीएमकेवीवाई एक कौशल विकास पहल है जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।
9. **जन धन योजना:** प्रधान मंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बचत और ऋण तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी परिवारों को

बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

10. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए):** एनएफएसए एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार देकर आबादी के एक बड़े हिस्से को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
11. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** सरकार लाभ और सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने, रिसाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है कि इच्छित प्राप्तकर्ताओं को लाभ मिले।
12. **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** एपीवाई एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को एक परिभाषित पेंशन प्रदान करना, बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
13. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई):** आरएसबीवाई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए कवरेज प्रदान करती है।
14. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी):** एनएसएपी में बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जो आबादी के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
15. **आधार:** विशिष्ट पहचान (आधार) कार्यक्रम का उपयोग एक विशिष्ट पहचान प्रणाली स्थापित करने के लिए किया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी और लाभ के कुशल लक्ष्यीकरण की सुविधा मिल सके।
16. **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए):** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) की उपलब्धि के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जैसा कि भारत के संविधान के 86वें संशोधन द्वारा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। 6-14 वर्ष आयु वर्ग का, एक मौलिक अधिकार।
17. **स्वच्छ भारत मिशन:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच-मुक्त व्यवहार कायम रहे, कोई भी पीछे न रहे, और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुलभ हों, मिशन एसबीएमजी के अगले चरण II यानी ओडीएफ-प्लस की ओर बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस गतिविधियां ओडीएफ व्यवहार को सुदृढ़ करेंगी और गांवों में ठोस और तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

➢ ये पहल सामाजिक सुरक्षा जाल, रोजगार सृजन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन प्रयासों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समावेशी विकास प्राप्त करने और भारत में हाशिए पर और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

सवाल: समावेशी विकास को मापने की विधियाँ क्या हैं?

➢ समावेशी विकास को मापने में यह आकलन करना शामिल है कि आर्थिक विकास किस हद तक आबादी के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है और आय, अवसरों और कल्याण में असमानताओं को कम कर रहा है। समावेशी विकास को मापने के लिए विभिन्न तरीकों और संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। यहां कुछ सामान्यत: नियोजित तरीके दिए गए हैं:

1. **गिनी गुणांक:** गिनी गुणांक आय असमानता का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। यह 0 (पूर्ण समानता) से 1 (पूर्ण असमानता) तक होता है। एक उच्च गिनी गुणांक अधिक आय असमानता को इंगित करता है। समय के साथ गिनी गुणांक में कमी अधिक समावेशी विकास की दिशा में प्रगति का संकेत दे सकती है।
2. **पाल्मा अनुपात:** पाल्मा अनुपात, जो आबादी के सबसे अमीर 10% और सबसे गरीब 40% की आय हिस्सेदारी के अनुपात को मापता है, आय असमानता का एक और संकेतक है। घटता हुआ पाल्मा अनुपात आय के अधिक न्यायसंगत वितरण का सुझाव देता है।
3. **मानव विकास सूचकांक (एचडीआई):** एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो विकास और कल्याण का व्यापक माप प्रदान करने के लिए आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा पर विचार करता है। एक उच्च एचडीआई अधिक समावेशिता को इंगित करता है।
4. **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई):** एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों पर विचार करके गरीबी का आकलन करता है। कम एमपीआई स्कोर कम गरीबी और अधिक समावेशिता का सुझाव देता है।
5. **रोजगार और श्रम बाजार संकेतक:** रोजगार दर, वेतन स्तर और नौकरियों की गुणवत्ता का विश्लेषण विकास की समावेशिता में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। कम बेरोजगारी दर और कार्यबल के लिए बेहतर वेतन अधिक समावेशी विकास का संकेत दे सकते हैं।
6. **शिक्षा तक पहुंच:** स्कूल नामांकन दर, साक्षरता दर और शैक्षिक उपलब्धि जैसे शिक्षा संकेतकों को मापने से शैक्षिक अवसरों की समावेशिता का आकलन करने में मदद मिलती है।
7. **स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच:** स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, टीकाकरण दर और जीवन प्रत्याशा जैसे स्वास्थ्य देखभाल संकेतकों की निगरानी से यह जानकारी मिल सकती है कि समावेशी विकास ने स्वास्थ्य परिणामों को कैसे प्रभावित किया है।
8. **क्षेत्रीय असमानताएँ:** विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सेवाओं तक पहुंच में असमानताओं का आकलन यह संकेत दे सकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर विकास समावेशी है या नहीं।
9. **लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई):** जीआईआई प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी जैसे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को मापता है। कम जीआईआई अधिक लैंगिक समावेशिता को इंगित करता है।
10. **बुनियादी ढांचे का विकास:** बिजली, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और परिवहन सहित बुनियादी ढांचे तक पहुंच का मूल्यांकन यह संकेत दे सकता है कि बुनियादी सेवाओं के मामले में कितना समावेशी विकास है।

11. **वित्तीय समावेशन:** बैंकिंग और क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच सहित वित्तीय समावेशन के स्तर की जांच, विकास की वित्तीय समावेशिता में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है।
12. **पर्यावरणीय स्थिरता:** आर्थिक विकास के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन और वनों की कटाई की दर जैसे पर्यावरणीय संकेतकों को मापना यह संकेत दे सकता है कि विकास को टिकाऊ और समावेशी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है या नहीं।
13. **सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** नकद हस्तांतरण योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता का आकलन करने से यह संकेत मिल सकता है कि विकास किस हद तक कमजोर आबादी को लाभ पहुंचाता है।
14. **समावेशी विकास सूचकांक (आईडीआई):** समावेशी विकास सूचकांक (आईडीआई) किसके द्वारा संकलित किया गया था? विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ). आईडीआई इस विचार पर आधारित है कि अधिकांश लोग अपने देश की वृद्धि का आधार जीडीपी पर नहीं बल्कि अपने जीवन स्तर पर रखते हैं। यह तीन मापदंडों के आधार पर असमानता का माप देता है: वृद्धि और विकास, समावेशन, और अंतर-पीढ़ीगत समानता और स्थिरता।

- समावेशी विकास को मापने में अक्सर मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों का संयोजन शामिल होता है ताकि यह व्यापक समझ प्रदान की जा सके कि विकास विभिन्न जनसंख्या समूहों के कल्याण और अवसरों के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित कर रहा है। समावेशिता की बहुआयामी प्रकृति को पकड़ने के लिए संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

नीति आयोग

- नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 को हुई थीअनुसूचित जनजातिजनवरी, 2015 को और भारत के योजना आयोग का स्थान लिया गया।
- इसका उद्देश्य देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए एक दृष्टिकोण तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और एक अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

नीति आयोग की संरचना

अध्यक्ष: प्रधान मंत्री

- **उपाध्यक्ष:** प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाना है
- **शासन करने वाली परिषद:** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- **क्षेत्रीय परिषद:** विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्रधान मंत्री या उनके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
- तदर्थ सदस्यता:रोटेशन के आधार पर प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता में 2 सदस्य।
- पदेन सदस्यता:केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार को प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी:भारत सरकार के सचिव के पद पर, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- विशेष आमंत्रित व्यक्ति:विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ प्रधान मंत्री द्वारा नामित।

नीति आयोग के उद्देश्य

- राज्यों के बीच निरंतर आधार पर प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना और नीति निर्माण में कई हितधारकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक नीति में शामिल किया जाए।
- केंद्र और राज्य दोनों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना क्योंकि यह स्वीकार करता है कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- समय पर सुधार अपनाने के लिए अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक नीतियां (3/7/15 वर्ष) तैयार करना।
- एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक अभिनव उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करना और उन्हें उच्चतम स्तर पर एकत्रित करना, इस प्रकार विकेंद्रीकृत योजना दृष्टिकोण का पालन करना।

नीति आयोग के सूचकांक

- **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक:** यह पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जल-आधारित संकेतकों में राज्यों के प्रदर्शन को मापता है।
- **जिला अस्पताल सूचकांक:** यह WHO और MoHFW द्वारा डिजाइन किए गए 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर जिला अस्पतालों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
- **निर्यात-तैयारी सूचकांक:** यह निर्यात नीति के आधार पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तत्परता को मापता है; व्यापारिक वातावरण; निर्यात अवसंरचना; और निर्यात प्रदर्शन।
- भारत नवाचार सूचकांक:यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवाचार के माहौल का लगातार मूल्यांकन करता है।
- स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक:इसका उद्देश्य शिक्षा नीति पर परिणाम आधारित फोकस लाना और परिणाम में सहायता करने वाली शासन प्रक्रिया में सुधार करना है।
- एसडीजी भारत सूचकांक:इसे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है और यह एसडीजी 2030 के अनुरूप 115 संकेतकों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है।
- राज्य ऊर्जा सूचकांक:यह स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता और डिस्कॉम व्यवहार्यता को कवर करने वाले संकेतकों के आधार पर राज्यों का आकलन करता है।
- न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक- लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना।
- सुशासन सूचकांक -जीजीआई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक और

कार्यान्वयन योग्य ढांचा है जो राज्यों/जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है। सूचकांक कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा तैयार किया गया था।

- स्वास्थ्य सूचकांक- 2017 में,नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और के सहयोग सेविश्व बैंकसभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक शुरू किया गया। इसमें शामिल हैतीन डोमेन में 24 संकेतक:स्वास्थ्य परिणाम, शासन और सूचना, और प्रमुख इनपुट और प्रक्रियाएं।

योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर

योजना आयोग	नीति आयोग
योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी।	नीति आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने में इसकी विशेषज्ञता सीमित थी।	इसके पास व्यापक विशेषज्ञता है जो इसे विभिन्न विषयों पर बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देती है।
उन्होंने नियोजन के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया।	वे ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
योजना आयोग ने राज्यों पर नीतियां थोपीं।	यह अनिवार्य रूप से नीतियां लागू नहीं करता है।
इसके पास राज्यों और मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति थी।	उनके पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है

प्रभावी शासन के 7 स्तंभ

- नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभों पर आधारित है। वे इस प्रकार हैं:
- **जन समर्थक:** यह इस मायने में जन-समर्थक है कि यह समाज और व्यक्ति दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है।
- **प्रो-गतिविधि:** यह नागरिकों की जरूरतों का अनुमान लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित है।
- **भागीदारी:** भागीदारी में आम जनता की भागीदारी शामिल है।
- **सशक्त बनाना:** लोगों, विशेषकर महिलाओं को, उनके जीवन के सभी हिस्सों में सशक्त बनाना।
- सभी का समावेश:यह सभी लोगों के समावेश को सुनिश्चित करता है जहां जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों को शामिल किया जाता है।
- समानता:मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो।
- पारदर्शिता:सरकार को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना पारदर्शिता कहलाता है।

नीति आयोग हब

- टीम इंडिया हबराज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता हैराज्य-से-केंद्र सरकार की सहभागिता का समन्वय करता है
- ज्ञान और नवाचार केंद्रनीति आयोग के थिंक-टैंक कौशल का निर्माण करता है।
- आयोग ने तीन दस्तावेज -3-वर्षीय कार्य एजेंडा, 7-वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति दस्तावेज और 15-वर्षीय विजन दस्तावेज लाने की योजना बनाई है।

नीति आयोग की महत्वपूर्ण पहल

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम:यह अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से 112 सबसे कम विकसित जिलों में बदलाव पर केंद्रित है।
- इसे 2018 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य उन जिलों को बदलना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है।
- आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं, जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं।
- रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (इन्च्) में हुई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है
- स्वास्थ्य एवं पोषण (30%)
- शिक्षा (30%)
- कृषि एवं जल संसाधन (20%)
- वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास (10%)
- बुनियादी ढांचा (10%)
- अटल इनोवेशन मिशन:इसका उद्देश्य देश में ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाना है।
- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना, मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए एक छत्र संरचना बनाना है।
- **प्रमुख पहल:**
- अटल टिंकरिंग लैब्स:ये भारत के स्कूलों में समस्या समाधान की मानसिकता पैदा कर रहे हैं।
- अटल इन्क्यूबेशन केंद्र:विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना।
- अटल न्यू इंडिया की चुनौतियाँ:उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।
- मेंटर इंडिया अभियान:मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से एक राष्ट्रीय सलाहकार नेटवर्क।
- अटल सामुदायिक नवप्रवर्तन केंद्र: टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित देश के असेवित/असेवित क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करना।
- लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार **(ARISE):** एमएसएमई उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- जीवन अभियान:पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान व्यक्ति और समुदायों में व्यवहारिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। यह इस विचार में विश्वास करता है कि व्यक्ति जलवायु जिम्मेदारी के मूल में है।
- **शून्य:** यह एक शून्य प्रदूषण गतिशीलता अभियान है जो शहरी डिलीवरी और राइड हेलिंग के लिए शून्य-उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देता है।
- महिला उद्यमिता मंच:यह एक पोर्टल है जो देश भर में महिलाओं को जोड़ता है और उनकी उद्यमशीलता आकांक्षाओं को साकार

करने के लिए एक पोषण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।

- ई-अमृत:यह इलेक्ट्रिक वाहनों पर सभी जानकारी होस्ट करने वाला एक अनूठा पोर्टल है। यह यूके-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का एक हिस्सा है।
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम:इसका उद्देश्य कोयला भंडार और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को मेथनॉल में परिवर्तित करके मेथनॉल के उपयोग को बढ़ावा देना है। लक्ष्य भारत के आयात बिल और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

नीति आयोग से संबंधित वर्तमान समाचार

1. श्री परमेश्वरन अय्यर 10 जुलाई 2022 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नीति आयोग में शामिल हुए।
2. डॉ. अरविंद विरमानी 16 जुलाई 2022 से नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए।
3. एक जिला, एक उत्पाद नीति-यह नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का हालिया एजेंडा है। इसका इरादा जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देना है।
4. नीति आयोग भारत की अर्थव्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चुनिंदा फैसलों और फैसलों पर एक अध्ययन कराएगा।
5. प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना चल रही है और इसके लिए नीति आयोग एक जिम्मेदार प्राधिकरण है।
6. नीति आयोग ने निर्णायक भूमि स्वामित्व पर एक मॉडल अधिनियम तैयार किया है और उसे उम्मीद है कि इसे राज्यों द्वारा अपनाया और लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों तक ऋण की आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाना और बड़ी संख्या में भूमि संबंधी मुकदमों को कम करना है, इसके अलावा पारदर्शी रियल एस्टेट लेनदेन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को सक्षम करना है।
7. हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने उल्लेख किया था कि सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करेगी। पीएलआई योजना का उद्देश्य इस देश में निवेशकों को पैमाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में विश्व स्तर पर तुलनीय क्षमता रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार पहले ही दवा, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिए पीएलआई योजना शुरू कर चुकी है। अब वह इस योजना को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करने पर विचार कर रही है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR